बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 322609 दिनांक :- 21-08-17

ग्रा0वि0-3/स्था0-15-13/16

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- दिनांक 16.05.17 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुए बैठक में सभी विभागों के बडे विद्युत संबंध वाले परिसरों में प्रीपेड मीटर अधिष्ठापित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक 1043 दिनांक 24.07.17 की छाया प्रति इनके अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्र में मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय को प्रीपेड मीटर लगाने, विद्युत बकायें की राशि का त्वरित भुगतान में विद्युत कर्मियों को सहयोग करने तथा रिचार्ज कूपन हेतु समुचित राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश देने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

अनु0-यथोक्त ।

(राधा किशोर झा)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 322609 दिनांक:- 21-08-17

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 322609 दिनांक:- 21-08-17

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21 को उनके पत्रांक 1043 दिनांक 24.07.17 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना – 21

बिहार सरकार का उपक्रम

SB
SOUTH BIHAR POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD
SBPDCL
Illuminating lives...

CIN No. U40109BR2012SGC018890

(120)

Ecn- 48849/17

आर0 लक्ष्मणन, **भा0प्र0से0**
प्रबंध निदेशक

पत्रांक– 1043
Rev./Govt./SBPDCL/2091/2014

दिनांक– 24/07/17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:– **दिनांक 16.05.2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी विभागों के बडे विद्युत संबंध वाले परिसरों में प्रीपेड मीटर अधिष्ठापित करने के संबंध में।**

प्रसग– मुख्य सचिव का पत्रांक–1621 दिनांक 18.05.2017

महाशय,

दिनांक 16.05.2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत वितरण कंपनियों यथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के विद्युत विपत्रों का मासिक भुगतान करना आवश्यक है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान राशि आदि के अनुपलब्धता के कारण ससमय नहीं किया जाता है जिसका कुप्रभाव न केवल वितरण कम्पनियों पर पड़ता है बल्कि विभागों को भी देर से भुगतान करने के कारण विलम्ब अधिभार शुल्क (डी0पी0एस0) का भुगतान करना पड़ता है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि ऊर्जा विभाग राज्य के सभी विभागों के बडे विद्युत संबंध वाले परिसरों में एक माह के अंदर प्रीपेड मीटर अधिष्ठापन वितरण कम्पनियों के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगें एवं सभी विभाग प्रीपेड मीटर अधिष्ठापित करने हेतु आवश्यक सहायोग देंगे।

उल्लेखनीय है कि इस संबध में विद्युत वितरण कम्पनियों ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को यह निदेश निर्गत किया है कि सरकारी विभागों के प्रत्येक उपभोक्ता के परिसर में प्रीपेड मीटर अधिष्ठापित किया जाय साथ ही पूर्व से लगे मीटर का अंतिम मान पठन पर संयुक्त हस्ताक्षर प्राप्त किया जाय जिसकी उपभोक्तावार/विभागवार समेकित विवरणी पटना स्थित विभागों के मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी ताकि भुगतान हेतु आबंटन निर्गत किया जा सके। प्रीपेड मीटर लगाने की तिथि से सरकारी कार्यालयों को रिचार्ज कूपन के माध्यम से प्रीपेड मीटर को चार्ज करना होगा, तदोपरान्त विद्युत उपभोग की सुविधा प्रदान होगी।

अतः अनुरोध है कि मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निदेश के अनुपालन हेतु अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयो का यह निदेश देने की कृपा करें कि वे विद्युत विभाग के कर्मियों को प्रीपेड मीटर लगाने में सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करें तथा प्रीपेड मीटर के अधिष्ठापन की तिथि तक पुराने मीटर का मान पठन/विद्युत बकाए की राशि को संयुक्त हस्ताक्षर करें साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों को रिचार्ज कूपन हेतु समुचित राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

(आर0 लक्ष्मणन)
प्रबंध निदेशक

48849
03/08/17

मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2017 को राज्य के विद्युत वितरण कम्पनियों का राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों आदि पर ऊर्जा विपत्र के बकाये भुगतान के संबंध में बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति — सूची संलग्न।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के द्वारा पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि राज्य के वितरण कंपनियों का दिनांक 1.04.2017 को राज्य के 5 बड़े विभागों यथा नगर विकास विभाग (उनके अधीन निगमों सहित), लघु सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग पर विद्युत आपूर्ति से संबंधित ऊर्जा विपत्र का कुल 571.66 करोड़ रूपये बकाया है। चालू वित्तीय वर्ष में उक्त 5 विभागों को कुल 437.30 करोड़ रूपये का विद्युत विपत्र अनुमानित है। इस प्रकार वर्ष 2017–18 के दौरान इन विभागों को कुल 1008.96 करोड़ रूपये का भुगतान करना होगा, जिसके विरूद्ध इन विभागों द्वारा कुल 154.74 करोड़ रूपये का ही बजट प्रावधान किया गया है। अतः 854.22 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाना आवश्यक है। प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा यह कहा गया कि वितरण कंपनियों का उपभोक्ता आई०डी० के साथ मासिक विपत्र प्राप्त नहीं होता हैं एवं साथ में उनके कतिपय विपत्र त्रुटिपूर्ण हैं जिसकी समीक्षा अथवा Reconciliation आवश्यक है।

मुख्य सचिव बिहार के द्वारा यह कहा गया कि राज्य के सभी विभागों को ससमय विद्युत विपत्र का भुगतान करना आवश्यक है। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गये :–

1. ऊर्जा विभाग राज्य के सभी विभागों के बड़े विद्युत संबंध वाले परिसरों में एक माह के अंदर प्रीपेड मीटर का अधिष्ठापन संबंधित वितरण कंपनियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रत्येक विभाग विद्युत मद में वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान हेतु आवश्यक बजट प्रावधान कराना सुनिश्चित करें।
3. विद्युत विपत्र के मद में बकाये राशि के त्वरित भुगतान हेतु प्रत्येक विभाग मासिक समीक्षा अपने स्तर पर करें एवं यदि विपत्र में कोई त्रुटि हो तो तुरंत वितरण कंपनियों के मुख्यालय स्तर पर निदान हेतु सूचित करें।
4. नगर विकास विभाग के अधीन निगमों अथवा स्वायत्त संस्थाओं पर बकाये विद्युत विपत्र की राशि के लिए वित्त विभाग से बजट प्रावधान कराते हुए भुगतान सुनिश्चित करें।
5. विभाग द्वारा ससमय विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं होने की स्थिति में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा संबंध विच्छेद की कार्रवाई की जा सकती है।
6. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा स्ट्रीट लाईटिंग के लिए डेडिकेटेड सर्किट बनाते हुए ए०एम०आर० (Automatic Meter Reading) आधारित मीटर अधिष्ठापन कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
7. विकास आयुक्त के द्वारा उपर्युक्त बिंदुओं की मासिक समीक्षा की जाएगी।

(अंजनी कुमार सिंह)

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांकः– प्र02/बोर्ड विविध–21/2010 (खण्ड–1) 1636 पटना, दिनांकः– 18/05/2017

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ऊर्जा विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव, शिक्षा विभाग/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/17

सरकार के संयुक्त सचिव।